कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

जनपद मुजफ्फरनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में दिनॉक 21.10.2024 को सम्पन्न वर्चुअल समीक्षा बैठक का कार्यवृतः-

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः-

1. श्री उमेश मिश्रा, जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मुजफ्फरनगर।
2. श्री संदीप भागिया, मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मुजफ्फरनगर।
3. श्री संजय कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
4. श्री अंकित कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
5. श्री मनेन्द्र कुमार, डिस्ट्रीक्ट कॉर्डिनेटर, डी0पी0एम0यू0, मुजफ्फरनगर।
6. मौ0 इमरान, आई0एस0ए0 समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, मुजफ्फरनगर।
7. श्री यगन कुमार, डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, मुजफ्फरनगर।
8. श्री संजय पटेल, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 जे0एम0सी0-एल0सी0एस0पी0एल(जे0वी0)।
9. श्री मांगेराम प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 गायत्री-रेमकी(जे0वी0)।
10. श्री अखिलेश राघव, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0)।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यो पर प्रगति की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में दिनॉक 21.10.24 को विभागीय अधिकारियो, सम्बन्धित फर्मो, डी0पी0एम0यू0 एंव टी0पी0आई0 के साथ वर्चुअल बैठक सम्पन्न की गई, जिसमें फर्मो की प्रगति निम्नानुसार पाई गईः-

1- **मै0 जे0एम0सी0-एल0सी0इ0एस0पी0एल0(जे0वी0), मुम्बई** की स्वीकृत 215 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष इनके द्वारा 211 नग योजनाओ पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक 210 ट्यूबवैल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 198 योजनाओ में 1201.84 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाई गई है एवं 110598 एफ0एच0टी0सी0 प्रदान किये गये है। 175 नग योजनाओ पर पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्वीकृत 166 नग योजनाओ के सापेक्ष सभी सोलर पैनल उपलब्ध है एवं जिनमें से 126 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये है। फर्म के पास 49 योजनाऐं ऐसी है, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक मात्र 25 योजनाओ के विद्युत कनेक्शन ही कराये गये है। उपलब्ध 216 नग मोटर पम्प के सापेक्ष 149 नग मोटर पम्प अधिष्ठापित कर दिये गये है। फर्म द्वारा 216 अवर जलाशय के सापेक्ष 200 योजनाओ पर अवर जलाशय का कार्य प्रारम्भ कराया गया है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्म द्वारा 11 ग्रामो का हर घर जल प्रमाणीकरण करा दिया गया है जबकि 34 योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य पूर्ण हो गया है इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओ पर अवर जलाशय के कार्य पूर्ण हो गये है, उन योजनाओ का हर घर जल प्रमाणीकरण यथाशीघ्र कराया जाना सुनिश्चित करे। साथ ही फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि 13 योजनाओ पर अवर जलाशय का कार्य 0 से 25 प्रतिशत तक है, जिनको 25 से 50 प्रतिशत की श्रेणी में लाये, 46 योजनाओ पर अवर जलाशय का कार्य 25 सें 50 प्रतिशत तक है, जिनको 50 से 75 प्रतिशत की श्रेणी में लाये, 30 योजनाओ पर अवर जलाशय का कार्य 50 से 75 प्रतिशत तक है, जिनको 75 से 99 प्रतिशत की श्रेणी में लाये, 77 योजनाओ पर अवर जलाशय का कार्य 75 से 99 प्रतिशत तक है, जिनको 15.11.2024 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा 198 योजनाओ पर पाईप लाईन से

सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ कराये गये है, जिसके सापेक्ष 132 योजनाओ पर सडक पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कडे निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओ पर सडक पुर्नस्थापन का कार्य अवशेष है, उन योजनाओ पर सडक पुर्नस्थापन के कार्य 15.11.2024 तक प्रत्येक स्थिति में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे। सम्बन्धित फर्म द्वारा विकास खण्डवार कितनी लेबर लगी है, की सूची उपलब्ध कराई जाये। फर्म द्वारा निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से कराये जा रहे है इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि फर्म को चेतावनी पत्र जारी करे एवं अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को भी फर्म के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पत्र जारी करे। फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम रण्डावली झबरपुर एवं मांडला विकास खण्ड-पुरकाजी में ग्राम प्रधान द्वारा सम्बन्धित वैन्डर के साथ मिलकर अवर जलाशय के निर्माण कार्यो में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित फर्म के साथ मिलकर मौके पर जाकर समस्या का समाधान कराये।

2- **मै0 गायत्री-रेमकी(जे0वी0), हैदराबाद** की स्वीकृत 19 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष इनके द्वारा 19 नग योजनाओ पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक सभी ट्यूबवैल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 265.20 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाई गई है एवं 26033 एफ0एच0टी0सी0 प्रदान किये गये है, सभी 23 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्वीकृत 14 नग योजनाओ के सापेक्ष सभी सोलर पैनल उपलब्ध है एवं सभी 14 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये है। फर्म के पास 05 योजनाऐं ऐसी है, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान सभी योजनाओ के विद्युत कनेक्शन करा लिये गये है। उपलब्ध 23 नग मोटर पम्प के सापेक्ष 23 नग मोटर पम्प अधिष्ठापित कर दिये गये है। सम्बन्धित फर्म को समस्त योजनाओ के कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराकर हर घर जल प्रमाणीकरण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

3- **मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0), नई दिल्ली** की स्वीकृत 109 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष इनके द्वारा 102 नग योजनाओ पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक 102 ट्यूबवैल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 101 योजनाओ में 774.83 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाई गई है एवं 67525 एफ0एच0टी0सी0 प्रदान किये गये है। 88 नग योजनाओ पर पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्वीकृत 60 नग योजनाओ के सापेक्ष 52 नग सोलर पैनल उपलब्ध है एवं जिनमें से 22 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये है। फर्म के पास 49 योजनाऐं ऐसी है, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक 08 योजनाओ पर विद्युत कनेक्शन कराया गया है। उपलब्ध 110 नग मोटर पम्प के सापेक्ष 72 नग मोटर पम्प अधिष्ठापित कर दिये गये है। फर्म द्वारा 110 अवर जलाशय के सापेक्ष 69 योजनाओ पर अवर जलाशय का कार्य प्रारम्भ कराया गया है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्म द्वारा किसी भी योजना का हर घर जल प्रमाणीकरण नही किया गया है एंव 02 योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य पूर्ण हो गया है इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओ पर अवर जलाशय के कार्य पूर्ण हो गये है, उन योजनाओ का हर घर जल प्रमाणीकरण यथाशीघ्र कराया जाना सुनिश्चित करे। साथ ही फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि 40 योजनाओ पर अवर जलाशय का कार्य 0 से 25 प्रतिशत तक है, जिनको 25 से 50 प्रतिशत की श्रेणी में लाये, 20 योजनाओ पर अवर जलाशय का कार्य 25 से 50 प्रतिशत तक है, जिनको 50 से 75 प्रतिशत की श्रेणी में लाये, 04 योजनाओ

पर अवर जलाशय का कार्य 50 से 75 प्रतिशत तक है, जिनको 75 से 99 प्रतिशत की श्रेणी में लाये, 03 योजनाओ पर अवर जलाशय का कार्य 75 से 99 प्रतिशत तक है, जिनको 15.11.2024 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा 101 योजनाओ पर पाईप लाईन से सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ कराये गये है, जिसके सापेक्ष 44 योजनाओ पर सडक पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कडे निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओ पर सडक पुर्नस्थापन का कार्य अवशेष है, उन योजनाओ पर सडक पुर्नस्थापन के कार्य 15.11.2024 तक प्रत्येक स्थिति में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे। फर्म द्वारा निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से कराये जा रहे है इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि फर्म को चेतावनी पत्र जारी करे एवं अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को भी फर्म के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पत्र जारी करे।

उक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि समस्त जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियन्ता, डी0पी0एम0यू0 एवं टी0पी0आई0 द्वारा फर्मो द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो का स्थलीय निरीक्षण कराकर भौतिक प्रगति रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यो में गुणवत्ता को लेकर टी0पी0आई0 को कडे निर्देश जारी किये गये कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराना सुनिश्चित करे, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी। साथ ही सडक पुर्नस्थापन के कार्यो का भुगतान सम्बन्धित ग्राम प्रधान/खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा सत्यापित होने के उपरान्त ही किया जाये। सम्बन्धित फर्मो द्वारा विकास खण्डवार कितनी मैनपॉवर लगी है, की सूची उपलब्ध कराई जाये। साथ ही सभी फर्मो को सख्त निर्देश दिये गये कि सभी योजनाओ के कार्य लक्षित समय दिसम्बर-2024 तक प्रत्येक दशा में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।

(संदीप भागिया)
मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
मुजफ्फरनगर।

पृ0सं0 4016 / 108 / 81 दिनॉकः- 22-10-24

ई-मेल द्वारा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त विषयक सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर को सादर अवलोकनार्थ।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्मो एवं सम्बन्धित अधिकारियो से सम्पर्क कर प्रगति लाना सुनिश्चित करे।
4. जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, मुजफ्फरनगर।
5. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एंव मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 जे0एम0सी0-एल0सी0एस0पी0एल(जे0वी0)।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 गायत्री-रेमकी(जे0वी0)।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0)।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
मुजफ्फरनगर।